कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांकः 139 /एस0टी0–डी0एम0/कोरोना /2020 दिनांकः 22/08/2020

कार्यालय आदेश

मा0 विधायक जेवर एवं मा0 विधायक दादरी ने अपने पत्र क्रमशः दिनांक 28.07.2020 व 14.08.2020 के माध्यम से यह शिकायत की गयी है कि बिल्डरों द्वारा इण्टरनेट सेवाओं को लेकर उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक ही इंटरनेट प्रोवाइडर के माध्यम से सर्विस उपलब्ध कराकर, वहां रहने वाले लोगो का उत्पीड़न किया जा रहा है। यदि उपभोक्ताओं द्वारा खराब सर्विस का हवाला देकर, दूसरे किसी इंटरनेट प्रोवाइडर से सस्ता और अच्छी स्पीड दिए जाने की बात उठायी जाती है तो बिल्डरों द्वारा उपभोक्ताओं की आवाज को दबाकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग व The competition act 2002 (Amendment) Act 2007 में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि The competition act 2002 (Amendment) Act 2007 के सुसंगत प्राविधानों का भी उल्लेख किया गया है, जिसका सारवान अंश निम्नवत है–

"Competition is the means of ensuring that the common man or Aam Admi has access to the broadest range of goods and services at the most competitive prices. With increased competition producers will have maximum incentive to innovate and specialize. This would result in reduced costs and wider choice to consumers. A fair competition in market is essential to achieve this objective. Our goal is to create and sustain fair competition in the economy that will provide a level playing field to the producers and make the markets work for the welfare to the consumers."

यहॉ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि **उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या 195/एक –11–2020–रा0–11 दिनांक 24 मार्च,2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–2 की उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड–19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है।**

उपरोक्त के दृष्टिगत भी जनपद गौतमबुद्धनगर की संवेदनशीलता को देखते हुए कोविड–19 महामारी के संक्रमण के फैलने से बचाव एवं नियन्त्रण किये जाने के उद्देश्य से वर्तमान परिस्थितियों में इण्टरनेट सेवाओं की सुविधा अत्यन्त आवश्यक है। जहॉ एक ओर इण्टरनेट सेवाओं की सुलभता होने से कोविड–19 के संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग करते हुए चिकित्सकीय संस्थानों/अस्पतालों/होम आईसोलेशन के द्वारा चिकित्सकीय उपचार कराने में सुविधाजनक होगा, वहीं दूसरी ओर कोविड–19 के संक्रमण के कारण जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित अनेकों ग्रुप हाउसिंग प्लॉट में निवासित व्यापक संख्या में लोग विगत कई महीनों से वर्क–फ्रॉम–होम कर रहे हैं, उनके लिए भी सुविधाजनक होगा अर्थात कोविड–19 की वर्तमान संवेदनशील परिस्थितियों में इण्टरनेट सेवाओं की सुलभता लोगों की जान–माल की रक्षा में सहायक होगी। यदि बिल्डरों द्वारा इण्टरनेट सेवाओं को लेकर The competition act 2002 (Amendment) Act 2007 में उपरोक्तानुसार उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन किया जाता है तो वर्तमान कोविड–19 की महामारी की आपदा में प्रतिकूल स्थिति के उत्पन्न होने की सम्भावना भी बलबती होगी।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 2 (D) एवं धारा–30 में निम्नवत प्राविधान किये गये है :–

धारा–2 (D) :-

"Disaster" means a catastrophe, mishap, calamity of gave occurrence in any area, arising from natural or man made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of property, or damage to, or degradation of environment of the community of the affected area"

धारा–30 :–

2(xx). Coordinate with, and give guidelines to, local authorities in the district to situation or disaster to ensure the measures for the prevention or mitigation of threatening disaster situation or disaster in the district are carried out promptly and effectively.

2(xxii). Review development plans prepared by the Departments of the Government at the district level, statutory authorities or local authorities with a view to make necessary provisions therein for prevention of disaster or mitigation.

उपरोक्तानुसार वर्णित The competition act 2002 (Amendment) Act 2007 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के प्राविधानों के आलोक में इण्टरनेट सेवाओं को लेकर उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन को रोकने एवं कोविड–19 के संक्रमण की वर्तमान संवेदनशील परिस्थितियों के दृष्टिगत इण्टरनेट सेवाओं को देने वाले प्रोवाइडर्स के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/ग्रुप हाउसिंग इत्यादि द्वारा इण्टरनेट सेवाओं को लेकर किसी भी उपभोक्ता के अधिकारों का हनन नहीं किया जायेगा अर्थात किसी भी उपभोक्ता को किसी विशेष इण्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लेने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।
2. The competition act 2002 (Amendment) Act 2007 में निहित प्राविधानों के क्रम में किसी भी उपभोक्ता को अपनी इच्छा से इण्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर चयनित करने की स्वतन्त्रता होगी।
3. यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/ग्रुप हाउसिंग इत्यादि द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किसी उपभोक्ता को किसी विशेष इण्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर कम्पनी को चयनित करने के लिए अनुचित दवाब बनाये जाने की स्थिति में सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, आदेश का उल्लंघन होने की दशा में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी **जिसमें एक वर्ष तक की सजा या अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान–माल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है।**

ह0
(सुहास एल0वाई0)
जिला मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा गौतमबुद्ध नगर
2. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर
4. अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/(भू0अ0)/(प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।
5. नगर मजिस्ट्रेट, नोएडा/ग्रेटर नोएडां।
6. समस्त उप जिलाधिकारी/डिप्टी कलेक्टर्स, गौतमबुद्ध नगर।
7. उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्ध नगर
8. उप श्रमायुक्त, गौतमबुद्ध नगर
9. ए0आर0सी0एस0, गौतमबुद्धनगर।
10. डिप्टी डायरेक्टर, चिट एण्ड फण्ड, मेरठ।
11. अध्यक्ष–क्रेडाई, गौतमबुद्धनगर।
12. समस्त अध्यक्ष, आर0डब्ल्यू0ए0/ए0ओ0ए0, गौतमबुद्धनगर।
13. अध्यक्ष–फोनरवा, नोएडा।
14. अध्यक्ष–कोनरवा, नोएडा।
15. अध्यक्ष–एन0ई0ए0, नोएडा।
16. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

22/8/2020
जिला मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।